राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांक : प.6 (2)गृह/सम्पर्क/सचि./2002/ जयपुर, दिनांक 10.02.2015

समस्त,
अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
शासन सचिव/विभागाध्यक्ष

अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी
निगम/बोर्ड/स्वायत्तशासी संस्थाएं

परिपत्र

विषय :— राजस्थान संवाद के माध्यम से जारी किये जाने वाले वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों की प्रक्रिया के संबंध में।

सूचना एंव जनसम्पर्क विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.09.2014 के द्वारा समस्त राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद एवं शीर्ष से जिला स्तर तक की समस्त स्वायत्तशासी संस्थाएं के वर्गीकृत विज्ञापन भी अब राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक 10 अक्टूबर, 2014 से उपरोक्त संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने वाले समस्त विज्ञापन (वर्गीकृत एवं सजावटी) राजस्थान संवाद के माध्यम से ही जारी किये जा रहे है। समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.09.2014 में निर्धारित की गई प्रक्रिया में संशोधन किया जाकर निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(अ) वर्गीकृत विज्ञापन (Classified Advertisement)

(1) विज्ञापन हेतु कार्यादेश (work order) दिया जाना

i. उपरोक्त वर्णित समस्त राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड, शीर्ष सहकारी संस्थाएं, नगर निगम, नगर परिषद, जिला परिषद एवं शीर्ष से जिला स्तर तक की समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने वाले विज्ञापन के कार्यादेश के साथ अनुमोदित विज्ञापन की विषय वस्तु तीन प्रतियों में एवं सॉफ्ट कॉपी सहित राजस्थान संवाद को प्रेषित करेंगे।

ii. अनुमोदित वगीकृत विज्ञापन की साफ्ट कॉपी राजस्थान संवाद की ई–मेल आई डी. classified.samwad@gmail.com पर भी प्रेषित की जा सकती है।

iii. प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन के साथ सम्बन्धित संस्था यह स्पष्ट उल्लेख करेगी कि विज्ञापन का प्रकाशन किस स्तर (राष्ट्रीय/राज्य/संभागीय/जिला स्तरीय) एवं प्रति स्तर के समाचार पत्रों की कितनी संख्या में किया जाना है।

iv. यदि उपरोक्त के अतिरिक्त किसी विशिष्ट समाचार पत्र/पत्रिका, उदाहरणार्थ इंडिया ट्रेड जनरल, में भी विज्ञापन प्रकाशन कराया जाना अपेक्षित हो तो इसका भी स्पष्ट उल्लेख कार्यादेश में किया जायेगा।

(ब) सजावटी विज्ञापन (Display Advertisement)

(1) विज्ञापन हेतु कार्यादेश (work order) दिया जाना

i. उपरोक्त वर्णित समस्त संस्थाओं द्वारा समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में जारी किये जाने वाले सजावटी विज्ञापन के कार्यादेश के साथ अनुमोदित विज्ञापन का डिजाईन (Design) एवं आकार (Size) तीन प्रतियों में एवं सॉफ्ट कॉपी सहित प्रबंध निदेशक, राजस्थान संवाद को प्रेषित किया जावेगा।

ii. अनुमोदित विज्ञापन की साफ्ट कॉपी राजस्थान संवाद की ई–मेल आई .डी. classified.samwad@gmail.com पर भी प्रेषित की जा सकती है।

iii. इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक मीडिया (TV, FM Radio आदि) में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन के कार्यादेश के सहित समय अवधि भी अंकित की जावेगी। विज्ञापन की सीडी कार्यादेश के साथ संलग्न की जावेगी।

iv. प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन राजस्थान संवाद में एमपेनल्ड विज्ञापन एजेन्सी (Empanelled Advertising Agency) के मार्फत से प्रेषित किये जा सकेंगे।

v. प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन के साथ सम्बन्धित संस्था मीडिया प्लान (Media plan) संलग्न करेगी जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि विज्ञापन का प्रकाशन किस स्तर (राष्ट्रीय/राज्य/संभागीय/जिला स्तरीय) एवं प्रति स्तर के समाचार पत्रों की कितनी संख्या वाले में किया जाना है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोनिक मीडिया में प्रसारण हेतु किस स्तर (राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय) एवं कितनी संख्या के चैनल का भी उल्लेख किया जावेगा। संबंधित संस्था किन समाचार पत्रों/पत्रिकाओं/चैनल में उस विज्ञापन का प्रकाशन/प्रसारण चाहती है, का भी उल्लेख कर सकती है। प्रकाशन/प्रसारण की दिनांक का भी स्पष्ट उल्लेख मीडिया प्लान में होगा।

vi. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विज्ञापन राजस्थान संवाद को प्रकाशन/प्रसारण हेतु नियत तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रेषित कर दिये जाये।

vii. संस्था से प्राप्त मीडिया प्लान का परीक्षण राजस्थान संवाद में किया जावेगा एवं प्रभावी प्रचार व विभिन्न मीडिया को पूर्व में जारी किए गए विज्ञापनों को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंध निदेशक, राजस्थान संवाद को यह अधिकार होगा कि वह प्राप्त मीडिया प्लान में संशोधन कर सके।

viii. राजस्थान संवाद द्वारा सम्बन्धित समाचार पत्र/पत्रिका/चैनल के नाम रिलीज ऑर्डर (Release Order) जारी किया जाकर संस्था द्वारा नाम निर्दिष्ट एमपेनल्ड विज्ञापन एजेन्सी को प्रकाशन/प्रसारण हेतु दिया जावेगा। संबंधित समाचार पत्र/पत्रिका/चैनल में राजस्थान संवाद द्वारा जारी रिलीज ऑर्डर (Release Order) के अनुसार प्रकाशन/प्रसारण करवाने का दायित्व संबंधित विज्ञापन एजेन्सी का होगा।

(2) सजावटी विज्ञापनों की दर

i. वर्गीकृत विज्ञापनों की दरों के संबंध में वर्णित निर्देश सजावटी विज्ञापनों पर भी लागू होंगे।

v. प्रिंट मीडिया में प्रसारित किये जाने वाले विज्ञापन राजस्थान संवाद में एमपेनल्ड विज्ञापन एजेन्सी (Empanelled Advertising Agency) के मार्फत से प्रेषित किये जा सकेंगे।

vi. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विज्ञापन राजस्थान संवाद को प्रकाशन हेतु नियत तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व प्रेषित कर दिये जाये।

vii. संस्था से प्राप्त कार्यादेश के आधार पर राजस्थान संवाद द्वारा सम्बन्धित समाचार पत्र/पत्रिका को रिलीज ऑर्डर (Release Order) जारी किया जावेगा जिसकी प्रति सम्बन्धित संस्था को प्रेषित की जावेगी ।

(2) **वर्गीकृत विज्ञापनों की दर**

i. राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापन नीति–2001 के बिन्दु संख्या 4.5 के प्रावधानों के तहत् विज्ञापन की वाणिज्य दरों का निर्धारण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर समस्त राजकीय उपक्रम, निगम, बोर्ड एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं के द्वारा प्रेषित कार्यादेश के आधार पर राजस्थान संवाद के द्वारा समाचार पत्र/पत्रिका को रिलीज ऑर्डर जारी किया जायेगा।

ii. राज्य सरकार द्वारा वाणिज्यिक दरों का निर्धारण होने तक सम्बन्धित संस्था की अनुमोदित दर पर विज्ञापन जारी किये जावेंगे ।

(3) **भुगतान की प्रक्रिया (Procedure of Payment)**

i. प्रिन्ट मीडिया के विज्ञापन प्रकाशन उपरान्त संबंधित पत्र/पत्रिका विज्ञापन राशि का बिल सीधे संबंधित उपक्रम/संस्थान को जारी करेंगे एवं उक्त उपक्रम संस्थान राजस्थान संवाद हेतु आवश्यक कटौतियां, आदि करते हुए देय राशि संबंधित पत्र/पत्रिका को भुगतान करेंगे एवं राजस्थान संवाद को देय राशि का भुगतान किया जाएगा। 1 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण कोष में जमा कराई जाएगी।

ii. इस प्रकार राजस्थान संवाद द्वारा जारी किये गये वर्गीकृत विज्ञापन कार्य फलस्वरूप सेवा शुल्क (15 प्रतिशत सर्विस टैक्स अतिरिक्त) का भुगतान विज्ञापन दाता उपक्रम/संस्थान द्वारा राजस्थान संवाद का किया जाएगा। इस राशि के बिल राजस्थान संवाद द्वारा तैयार कर संस्थान को जारी रीजिल आर्डर, समाचार पत्र के बिल एवं जारी विज्ञापन की प्रति के साथ प्रेषित किये जाऐंगे। संबंधित राशि का भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त उस राशि को बैंक में जमा कराकर संबंधिम एजेंसी को निर्धारित प्रतिशत का भुगतान राशि की गणना एवं जांच कर वित्तीय सलाहकार द्वारा भुगतान स्वीकृति प्रबंध निदेशक से प्राप्त करने के उपरान्त भुगतान किया जागा। भुगतान गणना निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी।

iii. यदि विज्ञापन जारी करने का कार्य विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से किया गया है तो जॉब चार्जेज हेतु निर्धारित राशि विज्ञापन एजेंसी को दी जाएगी। यदि संवाद के माध्यम से सीधे ही विज्ञापन जारी होना है तो राशि संवाद को मिलेगी।

(३) **भुगतान की प्रक्रिया (Procedure of Payment)**

i. प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण उपरान्त संबंधित पत्र/पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक चैनल विज्ञापन राशि का बिल सीधे संबंधित विभाग/उपक्रम/संस्थान को जारी करेंगे एवं उक्त विभाग/उपक्रम संस्थान राजस्थान संवाद हेतु आवश्यक कटौतियां, आदि करते हुए देय राशि संबंधित पत्र/पत्रिका या चैनल को भुगतान करेंगे एवं राजस्थान संवाद को देय राशि का भुगतान किया जाएगा। 1 प्रतिशत राशि विभाग द्वारा पत्रकार कल्याण कोष में जमा कराई जाएगी।

ii. इस प्रकार राजस्थान संवाद द्वारा जारी किये गये सजावटी विज्ञापन कार्य फलस्वरूप सेवा शुल्क (15 प्रतिशत सर्विस टैक्स अतिरिक्त) का भुगतान विज्ञापन दाता विभाग/उपक्रम/संस्थान द्वारा राजस्थान संवाद का किया जाएगा। इस राशि के बिल राजस्थान संवाद द्वारा तैयार कर विभाग/संस्थान को जारी रीजिल आर्डर, समाचार पत्र के बिल एवं जारी विज्ञापन की प्रति के साथ प्रेषित किये जाऐंगे। संबंधित राशि का भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त उस राशि को बैंक में जमा कराकर संबंधिम एजेंसी को निर्धारित प्रतिशत का भुगतान राशि की गणना एवं जांच कर वित्तीय सलाहकार द्वारा भुगतान स्वीकृति प्रबंध निदेशक से प्राप्त करने के उपरान्त भुगतान किया जागा। भुगतान गणना निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाएगी।

iii. यदि विज्ञापन जारी करने का कार्य विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से किया गया है तो जॉब चार्जेज हेतु निर्धारित राशि विज्ञापन एजेंसी को दी जाएगी। यदि संवाद के माध्यम से सीधे ही विज्ञापन जारी होना है तो राशि संवाद को मिलेगी।

12/2/15

(टी. रविकान्त)
शासन सचिव
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
राजस्थान, जयपुर